राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2701596
E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / गुणवत्ता / TAF / 2019–20 / 6347 दिनांक : 3 / 10 / 2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा–समस्त जिले।

विषय :– शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019–20 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) अन्तर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्थाप्रधानों के कार्यो का स्व–मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाईयों व चुनौतियों के आंकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गतवर्ष की भाँति तैयार किया जाना हैं। इस हेतु राज्य की आवश्यकतानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश आपको पूर्व में भिजवाये गये है।

प्रत्येक संबंधित शिक्षक एवं संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण पर ऑनलाइन भरे जाने हेतु नवीनतम TAF ऑनलाइन मॉडयूल विकसित किया गया हैं। अतः पूर्व में जारी दिशा–निर्देशानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित समस्त कार्यो को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

आवश्यक निर्देश :–

1. प्रत्येक शिक्षक एवं संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन Staff Window> Staff Login द्वारा भरा जाना है।
2. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी के लॉगिन से (विद्यालय / पीईईओ / सीबीईओ) नियंत्रण अधिकारी के द्वारा स्वयं की जावेगी।
3. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, प्रथम छःमाही (जनवरी से जून 2019) की ऑनलाइन फीडिंग समस्त शिक्षकों द्वारा 30.10.2019 तक पूर्ण की जानी है।
4. समस्त पीईईओ व सीबीईओ संबंधित शिक्षकों / संस्थाप्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निर्धारित दिनांक तक पूर्ण कराया जाने हेतु व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

संलग्न– 1. ड्राफ्ट शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र
2. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2019–20 दिशा–निर्देश

1.10.19

(एम.आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प / जय / गुणवत्ता / TAF / 2019–20 6347 दिनांक 3/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा, समस्त संभाग।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
7. पीईईओ, समस्त।
8. कार्यालय प्रति।
9. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर

उपायुक्त–द्वितीय

D:\d drive\SIQE 2015\SIQE 2018\Vikaram ji Letter